International Journal of Humanities and Social Science Research
www.socialsciencejournal.in
ISSN: 2455-2070
Received: 13-09-2024, Accepted: 14-10-2024, Published: 29-10-2024
Volume 10, Issue 5, 2024, Page No. 55-57

राजस्थान राज्य अभिलेखागार में संग्रहित बहुमूल्य अभिलेख सम्पदाः 'कागद बहियां'– एक अवलोकन

मोहन लाल
असिस्टेंट प्रोफेसर (विद्या संबल योजना), इतिहास विभाग, राजकीय महाविद्यालय बायतु एवं शोधार्थी, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर, राजस्थान, भारत

सारांश
पिछले कुछ दशकों से विश्व के इतिहास लेखन को लेकर नवीन विद्याओं का प्रचलन प्रारम्भ हुआ है। जिनमें क्षेत्रीय इतिहास का स्वतंत्र लेखन महत्वपूर्ण है। भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से यहां की स्थानीय रियासतों का इतिहास बहुत समृद्ध रहा है परन्तु उनकी स्वतंत्र विवेचना करना अभी भी शेष है। इसी अनुक्रम में बीकानेर राज्य के इतिहास को नवीन परिभाषा देने वाले यहां के पुरादस्तावेजों की महत्ती भूमिका है और इस श्रृंखला में कागद बहियां ने अपनी अनूठी पहचान स्थापित की है। यह आलेख कागद बहियों में संकलित विविध पक्षों से सम्बद्ध सूचनाओं पर विशेष प्रकाश डालता है ताकि बीकानेर राज्य के इतिहास लेखन हेतु कागद बहियां की उपयोगिता को सार्थकता प्रदान की जा सके।

मूल शब्दः कागद बही, बीकानेर, वीरा, कतार, जगात, धाड़वी, गुनैहगारी

वर्तमान राजस्थान के निर्माण से पूर्व राजपुताना 19 रियासतें एवं 3 ठिकानों में विभाजित था एवम सभी रियासतों का स्वतंत्र शासन संचालन था। सभी रियासतों में संपादित होने वाले प्रशासिनक कार्यो का लेखा–जोखा रखने का तरीका भी भिन्न प्रकार था। परन्तु राजकार्य में प्रयुक्त होने वाले अभिलेखों को संग्रहित करके निजी संग्रह या अभिलेखागार के रूप में सुरक्षित रखा जाता था। परन्तु, राजस्थान बनने पर इस अमूल्य अभिलेख संपदा की ओर सरकार का ध्यान गया और सन 1990 ई. से पूर्व के सभी रियासतों के अभिलेखों को संग्रहित कर राजस्थान राज्य अभिलेखागार को मूर्त रूप दिया गया। इसकी स्थापना 1955 ई. में की गई एवं इसका मुख्यालय जयपुर में बनाया गया। सन 1960 में इस विभाग को जयपुर से बीकानेर के वर्तमान भवन में स्थानान्तरित कर दिया गया। यहॉ संग्रहित विशाल अभिलेख श्रृंखलाओं का सन 1963 में केन्द्रीयकरण कर दिया गया ताकि इतिहासकारों, विद्वानों एवं शोधार्थियों को उनके शोधकार्य हेतु वांछित अभिलेख सामग्री एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा सके। अभिलेखागार को मुख्यालय के अतिरिक्त 07 अन्य शाखाएं जयपुर, जोधपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा, उदयपुर एवं अजमेर में स्थित है। जिनमें रियासत के सम्बद्ध 20वीं सदी का रिकार्ड संग्रहित है जिनमें मुख्यतः अंग्रजी फाईल्स व फारसी दस्तावेज उपलब्ध है।

राजस्थान राज्य अभिलेखागार की अपार एवं अमूल्य राष्ट्रीय सम्पदा को संजोये हुय है, इसमें भूतपूर्व राजस्थान की सभी रियासतों तथा राजस्थान सरकार के राजकीय कार्यो से संबंधित 25 वर्ष पुराने सभी दस्तावेजों को पुरालेखीय सम्पत्ति मानते हुये अभिलेखागार में संग्रहित कर लिया गया। ये अभिलेख ऐतिहासिक, प्रशासनिक, सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक दृष्टि से अत्यन्त महत्वपूर्ण है जो कि इतिहास विषय के विद्वतजनों एवं जनता के लिये बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आधुनिक पत्रवलियों के साथ–साथ यहॉ मुगलकालीन अभिलेख यथा फरमान, निशान, मन्सूर यहां संरक्षित है जबकि राजस्थान स्थानीय दस्तावेजों में तत्कालीन पट्टा, परवाना, रूक्का, बहियात, अर्जिया, खरीता, पानडी, तोजी, तोजी दो वरकी, चौपनियां, पचांग आदि भी उपलब्ध है इनमें फारसी, उर्दू व अंग्रेजी भाषा सहित देशज भाषा के विभिन्न दस्तावेज ढूँढाडी, मारवाड़ी एवं हाड़ौती भाषा में उपलब्ध है।

अभिलेखागार का प्रमुख कार्य राज्य के स्थाई महत्व के अभिलेखों को सुरक्षा प्रदान करना तथा आवश्यकता पड़ने पर राज्य सरकार के विभिन्न विभागों, न्यायालयों, निजी संस्थाओं, शोध अध्येताओं एवं नागरिकों को उपलब्ध करवाना है। ऐसे अभिलेख जो ऐतिहासिक महत्व के हो तथा शोध के लिये अत्यंत उपयोगी हो एवं वे अभिलेख जो सरकार के विभिन्न विभागों में सृजित किये जाते हैं उनके रख रखाव की दृष्टि से वैज्ञानिक पद्धति द्वारा संरक्षण प्रदान करना, आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अभिलेखों से विभिन्न विभागों को अवगत करवाना तथा संबंधित कर्मचारियों एवं अधिकारियों को उसके बारे में प्रशिक्षित करना है। विभाग के अन्य महत्वपूर्ण कार्यो में प्रदर्शनियां एवं सेमिनारों के आयोजन द्वारा जनसाधारण में अभिलेखीय जागरूकता उत्पन्न करना है।

जैसा कि विदित है अभिलेखागार पुरालेखीय सम्पदा का अथाह भण्डार है जहां राजपूताना की समस्त रियासतों का पुरासंग्रह संग्रहित है। उक्त रियासतों का इतिहास लेखन करने के लिये अनेक शोधार्थी देश के कोने–कोने से ही नहीं अपितु विदेशों से भी यहां आते हैं। अगर बीकानेर राज्य के इतिहास लेखन की चर्चा की जाए तो यहां पुरालेखीय दस्तावेजों की विभिन्न श्रृंखलाएं उपलब्ध हैं। जिनमें कागद बहियां, सावा बहियां, हासल, हबूब, कमठाणा, परवाना, जगात, जमाखर्च बहियॉ तथा अनेक फुटकर बहियॉ मुख्य है। बीकानेर राज्य के 18वीं एवं 19वीं सदी के जनजीवन पर ही नहीं बल्कि विविध पहलुओं पर महत्वपूर्ण प्रकाश डालने वाली कागद बहियॉ अपना अलग ही दृष्टिकोण रखती है।

कागज बहियॉ

रियासत कालीन बीकानेर राज्य से संबंधित अभिलेखिय सामग्री में कागद बहियॉ अपना विशिष्ट स्थान रखती है। कागद बहियॉ रियासतकालीन बीकानेर के वे सरकारी दस्तावेज है जिनमें तत्कालीन राजकीय आदेशों का संकलन है। ये आदेश रूपी सूचनाऍ राजा पर अधीनस्थ अधिकारी तंत्र द्वारा किसी राजकीय संस्था या राजकीय कर्मचारियों को प्रेषिति किए गए आदेशों की नकलें है। ये सूचनाऍ तत्कालीन शासन व्यवस्था एवं समाज के मध्य सम्बन्धों को स्पष्ट करते हैं। राजस्थान राज्य अभिलेखागार में संग्रहित यह बहियॉ रामपुरिया सेक्शन में रखी हुई है। इस बही श्रृंखला में कुल 53 कागद बहियॉ है। जिनमें प्रथम बही वि. सं. 1811 की है वही अंतिम कागद बही वि.सं. 1990 की है। अतः कागद बही श्रृंखला 18वी सदी के उत्तरार्द्ध एवं 19वीं सदी के

पूर्वार्द्ध के कुल 89 वर्षो का प्रतिनिधित्व करती है। इन कागद बहियों की भाषा राजस्थानी एवं लिपि मुड़िया है। सामान्यतः प्रत्येक बही एक वर्ष का लेखा–जोखा प्रस्तुत करती है परन्तु इस श्रृंखला में कुछ बहियॉ ऐसी भी है जो एक वर्ष से अधिक के कालखण्ड की अवधि का वर्णन प्रस्तुत करती है इसी तरह एक वर्ष के कालखण्ड की दो बहियॉ भी प्राप्त होती है जो कि बहुत कम है।

कागद बहियां बीकानेर राज्य की तत्कालीन भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित सूचनाओं की जानकारी देने वाली महत्वपूर्ण स्त्रोत है। जिसमें भू–मूल्यांकन, भू–मालिक व काश्तकार के मध्य संबंध, राजस्व वसूली की व्यवस्था (विशेषकर खालसा भू–क्षेत्र में) भूमि के वर्गीकरण एवं प्रशासन के बारे में जानकारी देती है।

कागद बहियों में उल्लेखित राजस्व से जुड़ी सूचनाओं का गहन अध्ययन करने पर पता चलता है कि मुगल शासनकाल के दौरान बीकानेर राज्य में भी मुगल राजस्व व्यवस्था का ही प्रचलन था अर्थात भूमि की गुणवत्ता एवं फसलों की किस्म के आधार पर ही राजस्व का निर्धारण किया जाता था। भूमि का वितरण भी विभिन्न जातियों व उपजातियों में किया गया था। सामान्यतः किसान का अपनी कृषि भूमि पर आनुवांशिक अधिकार माना जाता था। परन्तु कुछ विषम परिस्थितियों में राजा या जागीरदार द्वारा उक्त भूमि का अन्य व्यक्ति को स्थानान्तरण कर दिया जाता था। कागद बहियां में राज्य की भूमि के वितरण की लम्बी फेहरिस्त मिलती है जिसमें विभिन्न श्रेणियों का वर्गीकरण देखने को मिलता है। जिनमें मुख्यतः पट्टा भूमि, वंशानुगत खेतिहर भूमि, सासण (दानस्वरूप वितरीत भूमि) भूमि डोहली (धार्मिक उद्देश्य से वितरित) भूमि, करमुक्त भूमि तथा कबज भूमि आदि थी।

कागद बहियों में उल्लेखित सन्दर्भ यह इंगित करते हैं कि तत्कालीन राज्य की सम्पूर्ण भूमि प्रशासनिक रूप से चीरा व परगना ईकाइयों के अन्तर्गत प्रशासित थी। इस कालखण्ड के दौरान मगरा, पूगल, गोसांईसर, खेदडा, खारी–पट्टी, शेखसर, राजाहद, बीदाहद, सिंहाकोटी एवं जसरासर आदि मुख्य वीरे थे। जबकि महाजन को 19 वीं सदी के दोरान वीरे का दर्जा प्राप्त हुआ। इसी तरह परगनों के अन्तर्गत 18वीं सदी में पूनियां, भटनेर, फलौदी एवं बेणीवाल मुख्य थे। 19 वीं सदी के दौरान कुछ बदलावों के साथ सूरतगढ, सरदारशहर, टीबी, भादरा, चूरू, अनूपगढ, रिणी, रतनगढ, हनुमानगढ, नोहर, सरदारगढ, राजगढ तथा चुरू इत्यादि को भी परगनों का दर्ज प्रदान कर दिया गया। इसी तरह कागद बहियों में संकलित सूचनाओं का दायरा यही तक सीमित नहीं है। यह बहियॉ भूमि की व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था के अतिरिक्त तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक एवं सांस्कृति पहलुओं की जानकारी का भी अद्वितीय स्त्रोत है।

बीकानेर राज्य के आर्थिक संसाधनों में मेढ की खान, पत्थर की खान, जिप्सम एवं चूना की खानों का विस्तार था। इन सन्दर्भो की पुष्टि कागद बहियां में उल्लेखित सूचनाओं से होती है। 'उदाहरणार्थ कागद बही नं. 31 वि.सं. 1882 की एक सूचना से कोलावत क्षेत्र की एक मेट की खान से दो मण मेट आवराजी महाराज को दिलाने का वर्णन मिलता है।' इसी तरह कागद बही नं. 33 वि.सं. 1884 को एक सन्दर्भ से पता चलता है कि कोलायत में कपिल मुनि के मंदिर के समीप माता कुलपुरि व गणेशजी का नया मंदिर बनवाने हेतु मगरा क्षेत्र से 15 चूने की गाड़ियां मंगवाने का आदेश प्रेषित किया गया। 'उक्त सूचनाओं से यह पुष्टि होती है कि कोलायत व मगरा क्षेत्र में क्रमशः मेट व चूने के भण्डार मौजूद थे जहॉ से राज्य को आवश्यकतानुसार पूर्ति की जाती थी।'

इन वस्तुओं को लेन–देन पर राज्य द्वारा वसूली जाने वाली जगात की जानकारी भी कागद बहियों से मिलती है। उदाहरणार्थ– राज्य द्वारा अगणेऊ के हुवलदार को आदेश दिया गया था कि अगणेऊ गांव से होकर गुजरने वाले मेट से लदे प्रत्येक ऊंट पर तीन आना एक गाड़ी पर एक रूपिया दस आना एवं एक पोठिया पर 1 रूपिया दो आना, जगात (कर) के रूप में वसूल किये जावे। इसके अतिरिक्त राज्य से होकर गुजरने वाले व्यापारिक मार्गो की महत्वपूर्ण सूचनाएँ भी यह बहियॉ देती है।' दिल्ली से होकर दक्षिण की ओर जाने का एक सुरक्षित मार्ग बीकानेर से होकर गुजरता था। सिंध, मुल्तान व बट्टा की ओर जाने वाले सुरक्षित व्यापारिक मार्ग बीकानेर राज्य से होकर ही गुजरते थे।' कागद बही नं 31 वि.सं. 1882 के एक तथ्य से बीकानेर से सिंध की ओर ऊँटों की एक कतार के जाने का पता चलता है जिसमें इस कतार के बीकानेर राज्य के पूगल, सतासर, बरसलपुर होते हुये सिंध को जाने की जानकारी मिलती है। इसी तरह राज्य से होकर गुजरने वाले बाह्य व्यापारिक मार्गो के अलावा राज्य के आंतरिक मार्गो पर भी ये बहियॉ विस्तार से प्रकाश डालती है।'

आर्थिक पक्ष के अलावा पर्यावरण की सुरक्षा के प्रति प्रशासन की जागरूकता की जानकारी भी इन बहियां से प्राप्त होती है कागद बहियों में हरे पेड़ पौधों को नहीं काटने, पशु–पक्षियों की हिंसा न करने तथा पशुओं के चरने के लिये आगोर व ओरण भूमि की व्यवस्था करने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। जैसा कि कागद बही नं. 33 वि.सं. 1884 की एक सूचना से पता चलता है कि बीकानेर दरबार में हरिणों को गोली से न मारने के लिये कुछ गांवों यथा साहणीवाल, बिहारीपुरा, ककणियां तथा वीरपुरां के राजपूतों, चौधरियों तथा जनता को यह सख्त आदेश भिजवाया साथ ही आदेश की अवमानना करने वालों को गुनेहगारी स्वरूप सख्त सजा देने अथवा आर्थिक जुर्माना वसूलने के लिये भी निर्देशित किया गया।' उक्त सूचना से तत्कालीन प्रशासन का वन्य सम्पदा के प्रति जागरूकता का पता चलता है।

बीकानेर राज्य 'चारागाह' के दृष्टिकोण से सदैव समृद्ध रहा है अकाल तथा सूखा जैसी परिस्थितियों में भी यहां के पशुओं को पंजाब, हरियाणा अथवा मालवा की तरफ रूख करना पड़ता था। अन्यथा समीपवर्ती राज्यों से भी पशु चरने के लिये यहां भेजे जाते थे। एक अन्य सूचना से ज्ञात होता है कि अंग्रेज अधिकारी पारसंस साहब की हांसी व हिसाब से 1000 ऊंटनियां चरने के लिये बीकानेर क्षेत्र में भेजी गई थी जिनके लिये राज्य ने अजीतपुर की रोही एवं ददरेवा की रोही नामक स्थान निश्चित किये। यह सूचना स्पष्ट करती है कि बीकानेर के उक्त क्षेत्र चारागाह की दृष्टि से समृद्ध थे। यही नहीं बीकानेर राज्य का अधिकांश क्षेत्र चारे का अथाह भण्डार था यहॉ के प्रत्येक क्षेत्र की समृद्धता की सूचना कागद बहियों से प्राप्त होती है। राज्य द्वारा अपनी जनता व राज्य से होकर गुजरने वाले व्यापारियों के लिये पीने के पानी की व्यवस्था करवाई जाती थी जिसके लिये अनेक तालाब, कुंए तथा तलाई आदि के खुदवाने का वर्णन मिलता है।

कागद बहियां पर राजनैतिक, आर्थिक तथा पर्यावरण से जुड़े पहलुओं की भी इनसे प्रचुरता देखने को मिलती है। राज्य के विभिन्न समुदायों की परम्पराओं, रीति–रिवाजों, रहन–सहन तथा जीवन शैली के अनेक पहलू इन बहियों में परिलक्षित होते हैं। ये बहियां तत्कालीन समाज में होने वाले अपराधों की प्रवृति पर भी विशेष प्रकाश डालती है। दहेज, घरेलू हिंसा, व्यापारिक मार्गो में होने वाली डकैती, पशु–पक्षियों की हिंसा, चोरी, व्याभिचार आदि अपराधों की एक बडी श्रृंखला देखने को मिलती है। वहीं लड़कियों व औरतों के खरीद–फरोख्त की सूचनाएं भी मिलती है। कागद बहियों में इस प्रकार के अपराधों से सम्बद्ध सैकड़ों मामले देखने को मिलते हैं। उक्त उद्धरणों से तत्कालीन समाज में व्याप्त अपराध व उसकी प्रवृतियों के साथ ही महिलाओं के प्रति समाज के दृष्टिकोण को भलीभांति परखा जा सकता है।

कागद बही नं. 07 वि.सं. 1840 की फरोही से संबंधित मद में महिलाओं की खरीद करके आगे बेचने की जानकारी मिलती है।

इसी तरह वर्ष 1883 में गांव लालमदेसर में व्यापारियों के दो ऊंट धाड़वियों द्वारा लूट लिये जाने की जानकारी मिलती है। एक अन्य उद्धरण नागौर से बीकानेर की ओर आते समय रावणिये गांव में धाड़वियों द्वारा 02 ऊँटों के लूटने का विवरण मिलता है। केवल चोरी, डकैती की सूचना ही नहीं बल्कि अपराधियों को पकड़ने व उन पर जुर्माना करने से संबंधित सूचनाएं भी इन बहियों में देखने को मिलती है।

अतएवः यह स्पष्टतया समझा जा सकता है कि बीकानेर राज्य की कामद बहियां राज्य के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि अनेक पहलुओं से संबंधित विभिन्न अभिलेखों की प्रचुरता में जानकारी उपलब्ध करवाती है, इन बहियों की उपयोगिता इतनी अधिक है कि इनके अभाव में तत्कालीन बीकानेर राज्य का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास का निष्पक्ष लेखन करना सरल नहीं होता। अतः बीकानेर राज्य की कागद बहियों का अपना अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोण है जिनका अध्ययन वर्तमान शोध कार्य हेतु बहुत ही उपयोगी होगा।

संदर्भ सूची

1. कागद बही श्रृंखला की बही नं. 1 जहॉ एक ही वर्ष विक्रम संवत 1811 की सूचनाएं देती है। वही वर्ष वि.सं. 1810 की सूचनाएं दो कागद बहीयां नं. 18 एवं 19 प्रदान करती है। इसी प्रकार कागद बही नं. 33 व 34 भी एक ही वर्ष अर्थात वि.सं. 1884 के कालखण्ड का प्रतिनिधित्व करती है।
2. कागद बही नं. 31, वि.सं. 1882, रामपुरिया रिकाडर्स, रा.रा. अ.बी. कागद बही नं. 7, वि.सं. 1840, बीकानेर रिकाडर्स, कागद बही नं. 23, वि.सं. 1874, बीकानेर रिकाडर्स
3. कागद बही नं. 31, वि.सं. 1882, बीकानेर रिकाडर्स
4. कागद बही नं. 31, वि.सं. 1882, पृ. सं. 14 F2ए बीकानेर रिकॉर्डस, रा.रा.अ.वी.
5. कागद बही नं. 31, वि.सं. 1882, पृ.सं. 23 F2ए बीकानेर रिकॉर्डस, रा.रा.अ.वी.
6. कागद बही नं. 33, वि.सं. 1884, पृ. सं. 67 F1ए बीकानेर रिकॉर्डस, रा.रा.अ.वी.
7. डॉ. राजेन्द्र कुमार, ए स्टडी ऑफ ट्रेड रूटस ऑफ वेस्टर्न राजपूताना इन लेट ऐटीन्थ सेन्चूरी, पृ. 51, अंक–2, जनवरी 2015, आलेख–विरासत पत्रिका, इतिहास एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान विद्यापीठ विष्वविद्यालय, उदयपुर।
8. कागद बही नं. 31, वि.सं. 1882, मिति अष्विन सुदि 14, बीकानेर रिकाडर्स, रा.रा.अ.वी.
9. कागद बही नं. 32, वि. सं. 1884, पृ.12 F1ए बीकानेर रिकाडर्स, रा.रा.अ.वी.
10. कागद बही नं. 32, वि. सं. 1883, पृ 17 F2, पृ. 119 12, बीकानेर रिकाडर्स, रा.रा.अ.वी.
11. कागद बही नं. 32, वि.सं. 1883, पृ. 16, F1, बीकानेर रिकाडर्स, रा.रा.अ.वी.
12. कागद बही नं. 32, वि.सं. 1883, पृ. 74, F2, बीकानेर रिकाडर्स, रा.रा.अ.वी.